बाबूलाल – नारायणी 48/2018

दिनांक	आज्ञा पत्र	
25.4.22	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक मंच में आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 24.8.22 को पेश हो	
24.8.22	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट द्वारा शेष रेस्पा. की तामील करके रजिस्टर्ड तलबाना के लिए अपीलांट को हिदायत की गई। आगामी तारीख पेशी पर पेश नहीं करने पर पत्रावली बगैर में खारिज कर दी जायेगी। पत्रावली वास्ते तलब होने तलबाना लिए अग्रिम दिनांक 10.10.22 को पेश हो	
10.10.22	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट को हिदायत दी जाती है कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोर्डेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। तहत का रिकार्ड प्राप्त शामिल पत्रावली रहे / तलब किया जायें। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 11.01.23 को पेश हों। पत्रावली में पूर्व में यदि स्थगन है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है।	
12.01.23	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोर्डेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपीलांट ने रेस्पोर्डेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलांट अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलांट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय रे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर में कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।	
12.01.23	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोर्डेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपीलांट में रेस्पोर्डेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलांट अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलांट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय रे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर में कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झनूं)	

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर